राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1111/2015/टोंक

मैंसर्स बाहुबली इण्डस्ट्रीज, एच–135, औद्योगिक क्षेत्र,
बृजलाल नगर, मालपुरा, टोंक .....**अपीलार्थी**

बनाम्

उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वाणिज्यक कर, जयपुर .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :
श्री विनय गोयल
अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री रामकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 25.02.2016

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), तृतीय, वाणिज्यक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा गया है) द्वारा सं. कर/उपा–3/खादी/08–09/40 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.04.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2010–11 के अधिकारिता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2012 को सक्षम अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी ने अपीलीर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को राजस्थान खादी तथा ग्रामाद्योग बोर्ड, जयपुर (जिला उद्योग केन्द्र, टोंक) से जारी रसीद उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 07.06.2013 को नोट करवाया गया। अपीलार्थी ने उक्त रसीद की फोटोप्रति दिनांक 04.02.2015 को सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की एवं अधिकारिता प्रमाण पत्र नवीनीकरण करने का अनुरोध किया।

2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरान्त अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि प्रस्तुत रसीद एक फोटोप्रति है, जिस पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी की कोई टिप्पणी नहीं है। उक्त रसीद जिला उद्योग केन्द्र, टोंक द्वारा दिनांक 17.01.2008 को जारी की हुई है एवं प्राप्ति पत्रक वर्ष 2007–2008 अंकित किया हुआ है। आवेदक फर्म ने अधिकारिता प्रमाण

लगातार.....2

25.2.16

पत्र वर्ष 2010–11 के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया है। अतः आवेदक का आवेदन साक्ष्यों एवं वांछनीय प्रमाण पत्रों के अभाव में स्वीकार्य नहीं है। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 22.04.2015 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनय गोयल एवं प्रत्यार्थी विभाग के विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलार्थी राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ12(84)वित्त/कर/2009–20 दिनांक 08.07.2009 के प्रावधानों के तहत् छूट का लाभ वर्ष 2009–10 तक प्राप्त करता रहा। अपीलार्थी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (जिला उद्योग केन्द्र, टोंक) के यहां पंजीकृत है एवं उक्त पंजीयन मार्च 2011 तक वैध था। अपीलार्थी ने वर्ष 2010–11 हेतु अधिकारिता प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को आवेंदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो तकनीकी आधार पर एवं साक्ष्यों का परीक्षण किये बगैर ही अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी को अधिकारिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया जावें अथवा प्रकरण पुनः विचार हेतु सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जावें।

विभागीय अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस में कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (जिला उद्योग केन्द्र, टोंक) द्वारा दिनांक 10.03.2008 को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 09.03.2011 तक ही वैध था एवं इसमें व्यवसायी द्वारा **"स्टील फर्नीचर"** निर्माण का उल्लेख किया हुआ है। वाणिज्यक कर विभाग के वाणिज्यक कर अधिकारी, टोंक द्वारा व्यवसायी को जो पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2000 को जारी किया गया था, उसमें भी स्टील एवं लकड़ी के फर्नीचर आदि के निर्माण एवं विक्रय का उल्लेख है। प्रथमतः तो व्यवसायी अपीलार्थी ने खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया, जो वैध नहीं है एवं समय बाधित है, द्वितीय अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 में **"स्टील एवं लकड़ी के फर्नीचर"** उत्पाद को कर मुक्त घोषित नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारीज योग्य है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के प्रावधानों का

लगातार.....3

25/04/16

लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होने का जो कथन किया गया है, उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित एवं आंशिक भाग का उद्रण इस प्रकार है:–

No. F.12(84)FD/Tax/2009-20 **Dated: 08-07-2009.**

S.O.105- *In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and in supersession of all the notifications issued in this behalf, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax, the sale of good* ***excluding soap, bricks, Iron or steel or wooden furniture and products of marble, Kota-stone, sandstone, manufactured by an institution, cooperative society and an individual registered under the Act,*** *subject to the following conditions, namely:-*

that the exemption shall be available to an institution, co-operative society and an individual registered under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, and the authority competent to issue certificate under the Khadi and Village Industries Commission constituted under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 or with the Khadi and Village Industries Board constituted under the Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955, has issued certificate in favour of such unit.

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी का अधिकारिता प्रमाण पत्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं कर तकनीकी आधार पर अस्वीकृत किया है। अतः सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 22.04.2015 को अपास्त कर प्रकरण सक्षम अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थी का प्रकरण राज्य सरकार की उपरवर्णित अधिसूचना के प्रकाश में गुणावगुण के आधार पर निर्णित करें।

निर्णय सुनाया गया।

25/02/16

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य